

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक लेखा / अंक मिलान / 2019-20 / दिनांक

समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं(जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सैटेलाईट हॉस्पिटल,
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय,
अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्सेस इन फार्मसी, जयपुर
प्रधानाचार्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर, जोधपुर
प्रधानाचार्य, पक प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, जयपुर
समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी, / चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र / के एन टी बी डी
टी डी सी अजमेर
सयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर
मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर।

विषय :-आय व व्यय का अंक मिलान की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित विभागीय बजट के विरुद्ध व्यय की गई राशि के सबध में वास्तविक आकड़ों की सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्षों द्वारा मुख्यालय को प्रेषित की जाती है। किन्तु कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कोषालय से अकमिलान का प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया जाता है। अतः सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के पार्ट-1 के नियम सख्या 11(3) की पालना सुनिश्चित कराते हुए सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने राजस्व एवं व्यय का अकमिलान आई0एफ0एम0एस0 में अभिलिखित सबधित कोषागार / उपकोषागार के आकड़ों से करेंगे और कोषागार को मास में दो बार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कोई फर्क नहीं है। (कोई फर्क है तो समाधान अपने स्तर से तुरंत किया जावे।)

राजस्व प्राप्ति हेतु सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के पार्ट-1 के नियम सख्या 59 के अनुसार प्राप्तियों का अकमिलान किया जावे। तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आय एवं व्यय का अकमिलान प्रमाण पत्र एवं मासिक व्यय की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करवाये।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर
दिनांक 16/7/19

क्रमांक लेखा / अंकमिलान / 2019-20 / 1783
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है -

1 निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।

2 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर उक्त पत्र को अपलोड करावे।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर